



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 25.12.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 267/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री राजेश कुमार द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 25.12.2024 को मु0अ0सं0 267/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म के समय जिस मोबाइल फोन से वीडियो बनाये गये एवं अभियुक्त द्वारा फेसबुक मैसेन्जर से पीडिता के साथ हुये दुष्कर्म की वीडियो वायरल करने वाले मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सागर उर्फ ब्रह्मसागर पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम कुरैली कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. दिलीप पुत्र लज्जाराम निवासी ग्राम कुरैली कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 22.12.2024 को वादिनी द्वारा कोतवाली मोहम्मदाबाद पर सूचना दी कि दिनांक 08.12.2024 को अभियुक्त सागर उपरोक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ कमरे के अन्दर ले जाकर बलात्कार करना व वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी देना एवं अन्य अभियुक्त दिलीप पुत्र लज्जाराम द्वारा पीडिता के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कर देने के सम्बन्ध में। कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वादिनी की तहरीर के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0-267/24 धारा- 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट बनाम 1.सागर पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम कुरैली थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ आदि 02 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में दिनांक 25.12.2024 को दोनों नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. अभि0 सागर के कब्जे से एक अदद एन्ड्राईड मोबाइल फोन सैमसंग गैलक्सी Ao3 core माडल SM-A032F/DS Bronze जिसका IMEI No 351314616923298 व 353667616923297 , जिससे पीडिता के साथ दुष्कर्म करते समय का वीडियो बनाया गया।
2. अभि0 दिलीप के कब्जे से एक अदद एन्ड्राईड मोबाइल फोन IQ00Z9s 5g माडल नं0 12403 Onyx Green जिसका IMEI नम्बर 865511078023850 व 865511078023843 जिससे दुष्कर्म करते समय का वीडियो वायरल किया गया।

अभियुक्त सागर उर्फ ब्रह्मसागर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 267/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त दिलीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 267/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 विनोद कुमार शुक्ल , प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
2. उ0नि0 महेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 अरविन्द अवस्थी
4. का0 पवन उपाध्याय
5. का0 अजय तेवतिया
6. का0 भूपेन्द्र चौधरी
7. का0 अशुमान चाहर

मीडिया सेल फतेहगढ़



